वित्तीय क्षेत्र में सुधार*

रघुराम जी. राजन

अर्थव्यवस्था में स्थिरता पैदा हो रही है, किंतु यह आत्मसंतुष्टि की बात नहीं है। चालू खाता घाटा में थोड़ा सुधार इसलिए हुआ है कि सोने के आयात में कमी हुई है। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उठाए गए सभी कदम बहुत अच्छे नहीं हैं। हमें अभी भी बहुत काम करना है। वहीं पर अगले वर्ष देश में चुनाव भी होना है। चुनाव के बाद सरकार स्थायी ही होगी, यह बात अभी तय नहीं है। इसका मतलब यह है कि आज सभी पार्टियों को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि चुनाव के बाद जो भी सरकार बने वह भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए चुनौतियों का सामना कर सके। अन्यथा, बाज़ार और रेटिंग एजेंसियां यह कभी नहीं चाहेंगी कि नई सरकार मंदी के दौर से गुजरे।

और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो यह बात पार्टियों के लिए अतित आत्मसंतुष्टि की या संभवत: खतरनाक होगी यदि वे यह विचार रखती हैं कि कानून पारित करने के विधेयक को चुनाव होने तक स्थगित कर दिया जाए। जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, उसके लिए चुनाव के बाद की राजनीति बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगी। इसी प्रकार, यदि खड़ी की गई बड़ी परियोजनाओं को चुनाव के पहले वापस गतिशील रखने में कोई ढिलाई होती है या कोई राजकोषीय उपेक्षा की जाती है, तो पहले से विद्यमान बड़ी चुनौतियां और बढ़ेंगी तथा नई सरकार को उनका सामना करना पड़ेगा। यह बात राष्ट्र के लिए अत्यधिक फायदेमंद रहेगी यदि संसद, प्रमुख विधेयकों को पारित करती है और यदि मौजूदा प्राधिकारी विकास एवं राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सतत कार्रवाई करते हैं, साथ ही डीजल की कीमतों को बाजार की कीमत स्तर तक ले जाते हैं तथा अन्य ऐसे कार्यों के लिए दी गई सब्सिडी जिनका निष्पादन बहुत खराब है, को दूर करते हैं।

हालांकि, यह सभा मध्यावधि स्थिति पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई है। मध्यावधि पर नज़र डालें तो हमारी सफलता का उपाय लोगों के लिए रोजगार पैदा करना हो, न कि श्रमजन्य उद्योगों या क्षेत्रों को सरकारी सब्सिडी या संरक्षण देना बल्कि एक सुकर स्पर्धात्मक वातावरण का विकास करना जो कार्यक्षमता और सृजनशीलता को बढ़ावा देगा।

इसके लिए चार मुद्दों पर अनुशासित तरीके से ध्यान देना होगा :

1. हमें अपनी बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की जरूरत है, खासतौर पर लाजिस्टिकल तथा बिजली सुविधा जिसकी, उद्योग एवं सेवाक्षेत्र को आवश्यकता है। बड़ी-बड़ी योजनाएं प्रस्तावित हैं, जैसे - दिल्ली-मुंबई कोरिडोर। हमें इन परियोजनाओं को समय पर और बजट के भीतर पूरा करने की आवश्यकता है। नई दिल्ली मेट्रो की सफलता यह दर्शाती है कि समयबद्धता और लागत-नियंत्रण भारतीय मानस के लिए कोई अनजानी बात नहीं है।

2. हमारे युवाओं को शिक्षा और सृजित किए जाने वाले कार्यों के प्रशिक्षण की जरूरत है। इन कार्यों में से कुछ कार्य उच्च कोटि के होंगे जिसमें केवल कंप्यूटर विज्ञान ही नहीं है बल्कि डिजाइन या सिविल अभियांत्रिकी के कार्य भी हैं। इनमें से कुछ उपयुक्त शिक्षा होगी जो उन्हें नलसाज़ या इलेक्ट्रिीशियन का ज्ञान सिखाएगी बजाय इसके कि वे कम-कौशल स्तर के बेरोजगार रहने वाले इंजीनियर बनके रह जाएं। स्वयं के नागरिकों को शिक्षित कर लेना विश्व को शिक्षित कर लेने के समान होगा। भारत, हमारे प्रोफेसर्स के माध्यम से जो आटोमेशन और सीखने हेतु आसान बनाने के सर्वोत्तम मिले-जुले रूप को विकदित करने हेतु उपयुक्त मानव इनपुट प्रदान करते हैं, पूरे विश्व को जन-प्रौद्योगिकी युक्त शिक्षा देने में सबसे आगे रह सकता हैं।

3. हमें कारोबार को बेहतर तरीके से विनियमित करने की आवश्यकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि विनियमन कम होना चाहिए बल्कि इसका आशय है कि विनियमन उपयुक्त हो और उद्देश्यों के अनुरूप पूरी तरह से लागू हो। मुझे बताया गया है कि अभी भी एक राज्य में फैक्टरी के लिए इस बात की आवश्यकता है कि उसमें ज़मीनी आधार पर सर्प-कुंडली जैसा क़ानून हो, किंतु उनके क़ानून उस समय के हैं जब फैक्टरी के आसपास जंगल हुआ करता था और तबसे उसके क़ानून में कोई बदलाव नहीं किया गया है। परिवर्तन करने का अभाव मात्र निष्क्रियता होगी, लेकिन ये और भी अशुभ होगा कि उसका किराया बढ़ता जाए। कुल मिलाकर प्रायः हम देखते हैं कि पुस्तकों में विनियमन अधिक होते हैं किंतु व्यवहार में उनका उपयोग बहुत कम किया जाता है, जिसमें सबसे खराब बात

* डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 11 दिसंबर, 2013 को दिल्ली आर्थिक सभा में दिया गया व्याख्यान

है कि जो विनियमित हैं वे उन विनियमों के आसपास अनैतिक तरीके ढूंढ लेते हैं जबकि जो ईमानदारी से पालन करते हैं वे परेशानी में रहते हैं।

यहां तक कि कानूनी तरीके से एक कारोबार प्रारंभ करने के लिए बहुत सी स्वीकृति और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार से आयकर के लिए एक पृष्ठ का सरल फार्म है उसी प्रकार से एक पृष्ठ का प्रकटीकरण सरल फार्म छोटा कारोबार शुरू करने के लिए क्यों नहीं हो सकता है जिसमें केवल एक ही अधिकारी समस्त आवश्यक अनुमति प्रदान कर दे?

4. और अंतिम मुद्दा यह है कि हमें एक अच्छी वित्तीय प्रणाली चाहिए, जो जरूरतमंद बुनियादी ढांचे को तथा प्रत्येक निर्माता की विस्तार-आवश्यकता को वित्त प्रदान करेगी और यह सुविधा किराना दुकान के मालिक से लेकर उद्योगपतियों तक को उपलबध हो, यहांतक कि यह प्रणाली गृहस्थों को सुरक्षित बचत करने का अवसर दे जिसमें उन्हें वास्तविक रूप से बदले में उसका फायदा मिले, वे स्वयं की स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिकताओं अथवा बुढ़ापे की लागतों के प्रति बीमा करा सकें और कम लागत पर उधार प्राप्त कर सकें ताकि वे अपने खाने-पाने की चीजों पर खर्च कर सकें। खास बात यह भी है कि वित्तीय प्रणाली को उबारने के लिए लगातार सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है।

मैं अपनी शेष चर्चा में इस बात पर ध्यान केंद्रित करूंगा कि वित्तीय प्रणाली में सुधार लाने के लिए रिज़र्व बैंक क्या कर रहा है। अगले कुछ समय में पांच स्तंभों पर आधारित रिज़र्व बैंक के विकासात्मक उपाय बनाने की हमारी योजना है। वे इस प्रकार होंगे :

1. मौद्रिक नीति के ढांचे को स्पष्ट करना और सुदृढ़ बनाना।
2. नये प्रवेश देकर, शाखा विस्तार के माध्यम से, नये तरीके के बैंकों को प्रोत्साहित करके बैंकिंग ढांचे को मज़बूत बनाने और विदेशी बैंकों को बेहतर विनियमित संगठनात्मक स्वरूप में लाना।
3. वित्तीय बाज़ार को बड़ा एवं गहन बनाना तथा उनमें चलनिधि और सहनशक्ति को बढ़ाना ताकि वे भारत के विकास का वित्तपोषण कर सकें और जोखिमों को आत्मसात कर सकें।
4. लघु और मझौले उद्यमों, असंगठित क्षेत्र, निर्धन, तथा देश के दूरदराज इलाकों में जहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, को प्रौद्योगिकी, नई कारोबारी प्रथाओं, और नए संगठनात्मक ढांचों के माध्यम से वित्त उपलब्धता में विस्तार करना; अर्थात हम वित्तीय समावेशन चाहते हैं।
5. वास्तविक और वित्तीय ढांचा तथा ऋण वसूली व्यवस्था को मज़बूत बनाकर प्रणाली की क्षमता को बेहतर बनाना ताकि वह कंपनी-दबाव एवं वित्तीय संस्थाओं के दबावों को दूर कर सके।

मैं इनमें से प्रत्येक उपायों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा।

पहली बात यह है कि हम विश्व के उन बड़े राष्ट्रों में से एक हैं जिनमें उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बहुत ऊंची है। हालांकि हम जितना चाहते हैं हमारी विकास की दर उससे भी कहीं अधिक कमज़ोर है। ज्यादातर महंगाई खाने-पीने की चीज़ों और सेवाओं में केंद्रित है। हमारे गृहस्थ सोना खरीदना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनके लिए वित्तीय निवेश के अवसर आकर्षक नहीं हैं। वहीं कई औद्योगिक निगम इस बात की शिकायत करते हैं कि ब्याज दरें बहुत ऊंची हैं क्योंकि उसकी वजह से वे ऊंची लागतों को अपने उत्पाद की ऊंची कीमतें रखकर अंतरित नहीं कर सकते।

हम इस बात पर लंबे समय तक बहस कर सकते हैं कि इस मुद्रास्फीति के स्रोत कौन से हैं। लेकिन अंततः, मुद्रास्फीति की स्थिति तब आती है जब आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाए। और इसे कम तभी किया जा सकता है जब इन दोनों में संतुलन हो। हमें, निवेश और आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मांग को थोड़ा कम करना होगा। ऐसा करना संतुलनकारी होगा जिनके लिए रिज़र्व बैंक को दृढ़ता से काम लेना होगा ताकि अर्थव्यवस्था में स्फीति न पैदा हो, यहां तक कि एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था को यह स्थिति लाने के लिए सामान्य लगत से भी अधिक समय की अनुमति देना ताकि मुद्रास्फीति सहज स्तर तक पहुंच जाए। अर्थव्यवस्था की कमज़ोर हालत को देखते हुए, खरीफ और रबी की अच्छी फसलों के चलते इसमें अपस्फीतिकारी शक्ति पैदा होगी जो सहायक होगी, और हम इनके संबंध में आंकड़ों का इंतज़ार करेंगे कि किस प्रकार ये शक्तियां काम कर रही हैं। एकाध आंकड़ों या संख्याओं से हमारे अगले कदम का निर्धारण नहीं होगा।

मेरा मानना है कि बाज़ार इस बात को समझता है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु हमें वर्तमान से भी अधिक सावधानीपूर्वक बनाए गए मौद्रिक नीति ढांचे की जरूरत है। डॉ.उर्जित

पटेल समिति द्वारा दिसंबर 2013 के अंत तक प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के अनुसार इसके ढांचे पर कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी बात यह है कि हम मुक्त-शाखाकरण के उपाय पहले ही घोषित कर चुके हैं । हम विदेशी बैंकों को घरेलू स्तर पर स्थानीय जैसा बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन कर रहे हैं, यह कार्य रिज़र्व बैंक 2005 से करता रहा है। इससे हम उनका बेहतर विनियमन कर सकेंगे और विदेशी सीमा से पैदा होने वाले जोखिम प्रभावों को कम कर सकेंगे। यह हमारी बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता के लिए आवश्यक उपाय है। यह ऐसा उपाय है जिसे अन्य देशों ने भी अपनाया है। इससे आगे बढ़े, तो हमें अपने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, जो राष्ट्र की संपत्ति हैं, ऐसे साधन मुहैया कराना है जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा शक्ति बेहतर हो सके। अधिकांश बैंकों ने पिछले दशक में भरसक प्रयास किए हैं - उदाहरण के तौर पर, जिस सीमा तक उन्होंने अपने कार्यों को डिजिटाइज्ड किया है वह अत्यधिक सराहनीय है - किंतु बैंकिंग क्षेत्र में अगले कुछ वर्षों में स्पर्धा और बढ़ेगी इसलिए वे अपनी इस उपलब्धि को इतिश्री नहीं मान सकते। आने वाले महीनों में हम सरकारी क्षेत्र के बैंकों के स्टेकधारकों से यह चर्चा करेंगे कि उनके स्थायित्व, क्षमता और उत्पादकता को और बेहतर बनाने के लिए किन-किन बातों की आवश्यकता है।

तीसरे, हमें ऐसे बाज़ारों को सूचीबद्ध करने की जरूरत है जो वित्तीय संस्थाओं के लिए सहायक सिद्ध होंगे। चलनिधि बाज़ार, बैंकों को यह सहायता करेगा कि वे ऐसे जोखिम अपने ऊपर न लें जिन्हें उठाने की उनको आवश्यकता नहीं है। वह बैंकों को उनकी ऐसी परिसंपत्तियों को बेचने की अनुमति देगा जिन्हें धारित किए रहने में उन्हें कोई तुलनात्मक लाभ नहीं है, जैसे कि बुनियादी ढ़ांचे की परियोजना के पूरा होने तक दिया गया दीर्घकालीन ऋण, बेहतर होगा कि इसे बुनियादी ढांचा निधि, पेंशन निधि, तथा बीमा कंपनियों द्वारा धारित किया जाए। चलनिधि बाज़ार से प्रवर्तकों को सहायता मिलेगी कि वे इक्विटी बढ़ा सकें जिसकी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अतिशय आवश्यकता है जो ऐसे जोखिमों को समाहित कर लेगी जिन्हें अन्यथा बैंकों द्वारा अंततः उठाना पड़ता है। यह देखने के बजाय कि बाज़ारों का विकास तभी होगा जब बैंकिंग क्षेत्र का विकास हो, हम देखना चाहेंगे कि बाज़ार उनके अनुपूरक रूप में कार्य करते हैं।

आगामी सप्ताहों में, हम चलनिधि और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार की गहनता बढ़ाने के लिए और भी उपाय लाएंगे। तब हम मुद्रा बाज़ार और कंपनी ऋण बाज़ार की ओर रुख करेंगे। हम ब्याजदर फ्यूचर्स की नई दरें तथा नए उत्पाद लेकर आएंगे जैसे मुद्रास्फीति सूचकांकित प्रमाणपत्र और व्युत्पन्नी बाज़ार में चलनिधि की स्थिति बेहतर बनाने पर कार्य करेंगे। जैसे ही विदेशी मुद्रा बाजार अस्थिर हुआ, हमने इन बाज़ारों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया। यह प्रतिबंध हम सोच-समझकर हटाएंगे।

चौथे, हमें वित्तीय सेवाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है, भले ही वह दूरदराज अथवा छोटे स्थान पर हो। वित्तीय समावेशन का सिर्फ यह अर्थ नहीं है कि उत्पादन के प्रयोजन के लिए ही ऋण की उपलब्धता हो बल्कि स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिकताओं के लिए अथवा स्कूल या कालेज की भारी-भरकम फीस अदा करने के लिए ऋण उपलब्ध हो। इसका तात्पर्य है कि परिश्रम से की गई बचत को सुरक्षित रखने का साधन प्रदान करना और भुगतान करने तथा धन भेजने का आसान तरीका उपलब्ध कराना। इससे तात्पर्य है बीमा और पेंशन की सुविधा। इसका आशय है वित्तीय शिक्षण और उपभोक्ता का संरक्षण।

समावेशन की दिशा में हमने अत्यधिक प्रयास किए हैं, किंतु अभी भी हम अपने लक्ष्य से थोड़ा दूर हैं। हमने शाखा खोले जाने की रणनीति अपनाई है किंतु यह पर्याप्त नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जहां बैंकों की संख्या अत्यधिक है, वहां गरीब लोगों को अभी भी बैंकिंग की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हमने इसके लिए कई प्रकार के प्रयोग किए हैं। प्रौद्योगिकी का, मोबाइल फोन, नये उत्पाद जैसे - मोबाइल वैलेट्स एवं नई संस्था जैसे कारोबार-संपर्की का प्रयोग कर रहे हैं ताकि लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा जा सके। सेलफोन के माध्यम से काफी कार्य किया गया है जिसमें हमने किफायती भारतीय माडल बनाया है, हमें वित्तीय समावेशन के लिए विश्वसनीय तथा प्रभावी भारतीय मॉडल की आवश्यकता है। डॉ. नचिकेत मोर समिति इस संबंध में संभावित मॉडल के माध्यम से हमें इस पर विचार करने के लिए हमारी मदद कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि जब हम समिति की सिफारिशों के आधार पर उपाय तैयार करेंगे, तब हमारे बढ़िया बैंक, एनबीएफसी, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां तथा मोइबाइल-प्लेयर्स उसे लागू करने में साथ रहेंगे। इसकी खास बात यह होगी कि संस्थाओं को परस्पर स्पर्धा के लिए प्रोत्साहित किया जाए और वे सबसे निचले स्तर के ग्राहकों को भी सेवाएं प्रदान कर सकें। हमें उनके द्वारा लाभ कमाना स्वीकार है किंतु लाभ-लोभी बनना नहीं और हम तदनुसार उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ता साक्षरता के प्रयास को आगे बढ़ाते रहेंगे।

और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम संकट की स्थिति से निपटने का भरसक प्रयास करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि

वित्तीय संकट जहां भी हो, हमारा सिस्टम उसे तत्काल पहचान ले, उसके समाधान के लिए कदम उठाए और उधारदाता एवं निवेशकों को उसका उचित लाभ मिल सके। हम एक प्रभावी न्यायिक प्रक्रिया या एक बेहतर बैंकरप्टसी प्रणाली की अपेक्षा कर सकते हैं, किंतु जब तक ये सब हो, तब तक हमें उस सिस्टम को बेहतर बनाना होगा जो हमारे पास अभी है। अगले सप्ताह हम एक पर्चा चर्चा के लिए रखने जा रहे हैं जिसमें वास्तविक परिसंपत्तियों को पुन: उनके सर्वोत्तम उपयोग के लिए इस्तेमाल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दबावग्रस्त उधारकर्ताओं से व्यवहार करते समय मुख्य तत्व इस प्रकार होंगे:

(i) उधारदाता समिति का यथाशीघ्र गठन जिसमें यह सहमति हो कि समाधान के लिए समय पर योजना प्रस्तुत की जाएगी।

(ii) उधारदाताओं के लिए भारी प्रोत्साहन जो सामूहिक रूप से तथा शीघ्रता से किसी योजना के प्रति सहमत हो जाएं - इसके लिए दबावग्रस्त परिसंपत्ति का विनियमित हल निकालना होगा यदि योजना का संकल्प बनाया जाता है और उसपर सहमति है तो, यदि कोई सहमति नहीं होती है तो उसके लिए तत्काल प्रावधान करना।

(iii) बड़े मूल्य की पुन:संरचना अधिदेशपरक स्वतंत्र मूल्यांकन जिसमें योजना की संभाव्यता पर फोकस होगा और नुकसान (जिसकी भविष्य में बढ़ने की संभावना अधिक है) को ईमानदारी से प्रवर्तकों वं ऋणदाताओं में बांटा जाना।

(iv) जानबूझकर चूककरने वाले उधारकर्ताओं या सहयोग न करने वाले चूककर्ता जो उधारदाता के साथ दबावग्रस्त परिसंपत्ति का कुशल और न्यायसंगत तरीके से समाधान नहीं होने देते उन्हें भविष्य में उधार और महंगा देना।

(v) परिसंपत्ति की बिक्री में अधिक उदार विनियामक रवैया तथा नई संस्थाओं को परिसंपत्ति खरीदने या पुन: वित्तपोषण करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय दबाव के हर दौर का यही सबक रहा है कि दबाव को जल्दी ही पहचान लेना और उसका समाधान प्रस्तुत करना अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार का मौका प्रदान करता है। अगले सप्ताह लाए जाने वाले उपायों के माध्यम से रिजर्व बैंक का यह तात्पर्य है कि प्रवर्तकों और बैंकों की सहायता की जाए कि वे एकत्र हुए वित्तीय दबाव का कारगर तरीके से हल निकाल सकें।

अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं एक केंद्रीय बैंकर के सामान्य रूढ़िवाद से हटकर यह भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि भारत की सर्वोत्तम तस्वीर अभी आना बाकी है। हम सभी एक स्वस्थ, सुशिक्षित और धनी राष्ट्र होंगे, न केवल स्वतंत्र रूप से बल्कि अन्य राष्ट्रों की तुलना में भी। यह कोई भीतर से भारतीय उत्कृष्टता की भावना पर आधारित अति राष्ट्रवादी होने का बयान नहीं है, बल्कि यह एक विनम्र मान्यता है कि हम अभी भी अन्य देशों की तुलना में गरीब हैं और आगे बढ़कर लक्ष्य पकड़ना अधिक आसान है बजाय इसके कि हम पीछा छुड़ा लें। लेकिन ये नतीजे हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम चुनौतियों का सामना युक्तिपरक तरीके से करें, अनुशासन के साथ और राष्ट्रीय मकसद के साथ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम यही कार्य करेंगे।